

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक - 31/8/2015

सं०-16/एच.1-01/96 - 872 (दे०चि०) (दे०चि०)/स्वा० दि बिहार डेवलपमेंट ऑफ होमियोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसीन एक्ट - 1953 की धारा - 3 (1) (a) एवं (b) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के एकादश बोर्ड का पुर्नगठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. डा० सुमन चन्द्रा<br>सीता शरण लेन,<br>मीठापुर, पटना -1   | - | अध्यक्ष |
| 2. डा० सईद अस्करी रजा<br>3 जे./366 न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना -13  | - | सदस्य   |
| 3. डा० श्रीमती कुमारी रेणु<br>पति - अजय कुमार भगत<br>परम विहार अपार्टमेंट, अल्पना मार्केट के पास<br>रोड न० -3 न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना -13 | - | सदस्य   |
| 4. डा० अंसुमन भट्टाचार्या<br>पिता - स्व० चित्तोष कुमार भट्टाचार्या<br>डा० बी० भट्टाचार्या रोड, पटेल नगर, पटना -23                              | - | सदस्य   |
| 5. डा० उमेश कुमार श्रीवास्तव<br>पिता - स्वा० सीताराम लाल,<br>बी०/6 बैंक मेन कॉलोनी, चित्रगुप्त नगर,<br>कंकड़बाग, पटना 20                       | - | सदस्य   |

2. एकादश बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 (तीन) वर्षों तक होगा। इसके पश्चात इस बोर्ड का कार्यकाल स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. दि बिहार डेवलपमेंट ऑफ होमियोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसीन एक्ट - 1953 की धारा - 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत शेष अन्य श्रेणियों के सदस्यों का निर्वाचन शीघ्र सम्पादित करने हेतु बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रभाकर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - सं०-16/एच.1-01/96- 872 (दे०चि०) पटना दिनांक - 31/8/2015  
प्रतिलिपि - मुद्रणालय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० की प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

इसकी 200 प्रति स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा - 16 को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

